



प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **20-05-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी:-

1-थाना डिलारी पुलिस द्वारा 1,49,99,000 रुपये की पुरानी करेन्सी के नोट बरामदगी के मुकदमे में वांछित 03 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 19-05-2025 को व0उ0नि0 सुभाष चन्द्र यादव थाना डिलारी द्वारा अभियुक्तगण के कब्जे से 1,49,99,000 रुपये पुराने करेन्सी के नोट बरामद करने के संबंध में मु0अ0सं0-96/2025 धारा-318(4)/62/61(2)(क) बीएनएस व 5/7 स्पेसीफाइड बैंक नोट्स (सीसेशन आफ लाइबिलेटीस) एक्ट 2017 पंजीकृत कराया गया था। मुकदमा उपरोक्त में 03 आरोपियों को दिनांक 19-05-2025 को गिरफ्तार किया जा चुका है। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 20-05-2025 को थाना डिलारी पुलिस अभियुक्तगण 1-फैसल पुत्र कलवे अब्बास निवासी ग्राम सैद नांगली थाना सैद नागलीजिला अमरोहा 2-सत्तार पुत्र जमील निवासी ग्राम टुण्डा बलमनी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 3-यूसुफ पुत्र शौकत निवासी ग्राम टुण्डा बलमनी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।



गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1-फैसल पुत्र कलवे अब्बास निवासी ग्राम सैद नांगली थाना सैद नागलीजिला अमरोहा
- 2-सत्तार पुत्र जमील निवासी ग्राम टुण्डा बलमनी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 3-यूसुफ पुत्र शौकत निवासी ग्राम टुण्डा बलमनी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

पंजीकृत अभियोग:-मु0अ0सं0-96/2025 धारा-318(4)/62/61(2)(क) बीएनएस व 5/7 स्पेसीफाइड बैंक नोट्स (सीसेशन आफ लाइबिलेटीस) एक्ट 2017

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 अमरपाल सिंह
का0 संदीप कुमार
हे0का0 हरेंद्र कुमार

2-गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को थाना बिलारी पुलिस ने किया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 20-05-2025 को थाना बिलारी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-222/2025 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त भूरा पुत्र धर्मी निवासी ग्राम मीरा पुर माफी थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया ।



गिरफ्तार अभियुक्त:-

भूरा पुत्र धर्मी निवासी ग्राम मीरा पुर माफी थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद

आपराधिक इतिहास:- मु0अ0सं0 10/2024 धारा 384,420,467,468,471,506 भा0द0वि0

गिरफ्तार करने वाली टीम:- उ0नि0 श्री कृष्णा सिंह, का0 सचिन सिंह

3-अवैध तमंचे के साथ आरोपी को थाना सिविल लाईन्स पुलिस ने किया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 20-05-2025 को थाना भगतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त किशन सिंह पुत्र सतपाल गुप्ता बताया निवासी रादनौल अजीजपुर थाना जरीफनगर जनपद बदायूँ को एक अवैध तमंचा व 02 कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना सिविल लाईन्स पर मु0अ0सं0 349/2025 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया ।



गिरफ्तार अभियुक्त:-

किशन सिंह पुत्र सतपाल गुप्ता बताया निवासी रादनौल अजीजपुर थाना जरीफनगर जनपद बदायूँ

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0 349/2025 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.उ0नि0 कुलदीप राणा थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।
- 2.का0 बाबर थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।
- 3.का0 विरेन्द्र थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।

4-शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को थाना डिलारी पुलिस ने किया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 18-05-2025 को वादिनी निवासी थाना डिलारी क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने तथा अश्लील फोटो खींचकर फेसबुक व इंस्टाग्राम पर वायरल करने के सम्बंध में थाना डिलारी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना डिलारी पर मु0अ0सं0-95/2025 धारा-69 बीएनएस व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया । विवेचना के क्रम में आज दिनांक 20-05-2025 को थाना डिलारी पुलिस द्वारा मौ0 आकिल पुत्र हामिद हुसैन निवासी ग्राम ढकिया जट थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया ।



गिरफ्तार अभियुक्त:-

मौ0 आकिल पुत्र हामिद हुसैन निवासी ग्राम ढकिया जट थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0-95/2025 धारा-69 बीएनएस व 67 आईटी एक्ट

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 मनीष सिरोही थाना डिलारी, मुरादाबाद

का0 अवनीश चौधरी थाना डिलारी, मुरादाबाद

का0 विशाल शर्मा थाना डिलारी, मुरादाबाद

5-जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने में 40 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा 40 व्यक्तियों को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

थाना कटघर-04, थाना गलशहीद-01, थाना मझोला-13, थाना पाकबड़ा-02, थाना मूँढापाण्डे-02, थाना कांठ-04, थाना छजलैट-01, थाना ठाकुरद्वारा-01, थाना भोजपुर-02, थाना बिलारी-09, थाना मैनाठेर-01